न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, खटीमा, जिला– ऊधम सिंह नगर।

फौजदारी वाद संख्या :1370/2022

मुकदमा एफ0आई0आर0 नम्बर : 41/2022

उत्तराखण्ड राज्य बनाम शीला देवी

धाराः 60(1) उ0प्र0 आबकारी अधि0, 1910

थानाः झनकईया, जिला–ऊधमसिंहनगर।

दिनॉकः 26.04.2023

पत्रावली आज अभियुक्ता शीला देवी की ओर से जुर्म इकबाल प्रार्थना पत्र पर तलब होकर पेश हुई। अभियुक्ता मय विद्वान अधिवक्ता श्री शमशेर प्रसाद उपस्थित। अभियुक्ता द्वारा प्रस्तुत जुर्म इकबाल प्रार्थना–पत्र के आधार पर उसके बयान दर्ज किए गये, जिसमें उसने स्वेच्छया से अपना जुर्म इकबाल किया। अभियुक्ता द्वारा किए गये जुर्म इकबाल के आधार पर अभियुक्ता को धारा 60(1) उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 में दोषसिद्ध किया जाता है।

दिनॉकः 26.04.2023

(भारती मंगलानी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, खटीमा,
जिला– ऊधम सिंह नगर।

02. अभियुक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। अभियुक्ता द्वारा कथन किया गया कि वह गरीब महिला है, उसे कम–से–कम दण्ड से दण्डित किया जाये। अभियुक्ता द्वारा किए गये अभिवाक् एवं मामले के तथ्य परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए निम्न दण्डादेश पारित किया जा रहा है।

–:: आदेश ::–

03. अभियुक्ता शीला देवी पत्नी किशन सिंह को धारा 60(1) उत्तर प्रदेश आबकारी अधिनियम, 1910 (उत्तराखण्ड संशोधन 2002) में दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय उठने तक की सजा एवं मुवलिग 5,000/–(पांच हजार रुपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है, अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्ता 05 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगी। बरामद माल अपील अवधि की समाप्ति पर नियमानुसार निस्तारित किया जाये।

अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड की धनराशि मुव0 5,000/–रुपये न्यायालय में जमा की गयी। पत्रावली नियमानुसार अभिलेखागार संचित हो।

दिनॉकः 26.04.2023

(भारती मंगलानी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट, खटीमा,
जिला– ऊधम सिंह नगर।